(22)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी क्रमांक निगरानी 670-I-15 --- सन्

हल्के तनय गिरधारी गड़रिया निवासी, ग्राम गुड़वारा -

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म०प्र० --- आवेदक

बनाम

1- मातादीन पिता रामचरन गड़रिया

2- अलखराम पिता रामधनी गड़रिया

3- रामबाबू पिता रामधनी गड़रिया

4- रामप्रकाश पिता छोटेलाल गड़रिया समस्त निवासी गण ग्राम

गुड़वारा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म०प्र०

5- म०प्र० शासन --- अनावेदक गण

श्री हल्के आवेदक स्वयं द्वारा आज दि. 1-4-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

निगरानी आदेश विरूद्ध श्रीमान् तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1069 बी।21 वर्ष 2011-12 पारित आ०दि० 9/5/12 से दुखी होकर

श्रीमान् जी,

सेवा मे आवेदक निम्न विनय करता है ।

हल्के 1-4-15

§1§ यह कि प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 मातादीन के द्वारा भूमि आ०नं० 7/1/2 रकवा 0.253 है० मौजा गुड़वारा तहसील लवकुशनगर की भूमि का तरमीम हेतु आवेदन पत्र श्रीमान् तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के न्यायालय मे प्रस्तुत किया प्रकरण मे हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी किया गया कि मौका पर जाकर कब्जे के आधार पर तरमीम प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें । हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक के द्वारा दिनांक 13/4/2006 को सूचना पत्र जारी किया गया कि दिनांक 17/4/2006 को तरमीम प्रस्ताव मौके पर तैयार किया जाना है सभी मिडोही काश्तकार उपस्थित रहे । हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा 17/4/2006 को पंचनामा तैयार किया गया है । जिसमे आवेदक को कोई सूचना नही दी गई है और न ही बुलाया गया है । समस्त कार्यवाही गोपनीय तरीके से चोरी छुपे की गई है । इसी पंचनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/9/2006 को तरमीम प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जबकि अनावेदक क्रमांक 2 लगायत

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 670–एक/2015 जिला छतरपुर

हल्के विरूद्ध मातादीन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-02-2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 1069/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 9–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 20/02/2019	